न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

अन्तरण प्रार्थना पत्र संख्या– 22/2011–12

मै0 हरि पर्वत मैरीलैण्ड एवं रिसोर्ट्स प्रा0लि0

बनाम

श्री लाडविन्दर सिंह आदि

निर्णय/आदेश

सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार के न्यायालय में विचाराधीन अपील संख्या–03/2011–12 मैसर्स हरि पर्वत मैरीलैण्ड एवं रिसोर्टस प्रा0लि0 बनाम लाडविन्दर सिंह अन्तर्गत धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम मौजा रानीपुर, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार के किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानानतरण हेतु यह अन्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आज पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा तिथि स्थगन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, परन्तु इस तिथि स्थगन प्रार्थना पत्र में तिथि गलत अंकित की गई है। प्रतिपक्षीगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा अन्तरण प्रार्थना पत्र के विरूद्व आपत्ति प्रस्तुत की गई।

अन्तरण प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा अवर न्यायालय पर अविश्वास प्रकट किया गया है जिसके कारण उनके द्वारा यह अन्तरण प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अवर न्यायालय द्वारा अपनी प्रस्तरवार टिप्पणी में अन्तरण प्रार्थना पत्र में उल्लिखित आरोपों को निराधार एवं असत्य होने का उल्लेख किया गया है। अधिवक्ता प्रतिपक्षी द्वारा तर्क दिया गया कि अन्तरण प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोप निराधार हैं एवं प्रार्थी की मंशा वाद को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने की है। अधिवक्ता प्रतिपक्षी द्वारा अन्तरण प्रार्थना पत्र को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी के तर्क सुने गये एवं अन्तरण प्रार्थना पत्र एवं अवर न्यायालय की प्रस्तरवार टिप्पणी दिनांक 04–10–2012 का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अन्तरण प्रार्थना पत्र एवं अवर न्यायालय की प्रस्तरवार टिप्पणी के अवलोकन तथा अधिवक्ता प्रतिपक्षी के तर्कों के आधार पर ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं हुआ जिसके आधार पर सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार के न्यायालय में विचाराधीन वाद को निस्तारण हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक हो।

बलयुक्त न होने के कारण प्रस्तुत अन्तरण प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। अवर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे सभी पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए वाद का शीघ्रता से गुणदोष के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अवर न्यायालय को प्रेषित की जाय। न्यायालय पत्रावली संचित हो।

दिनांक: 02 अप्रैल, 2013

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष।,
राजस्व परिषद।